

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मुन- 96/2024

हडमाना राम पुत्र कुरडाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भाडंग तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थी -

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व घारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 28/6/24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना गय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा भाडंग के खसरा सं. 1025/28 तादादी 2.6934 हेक्ट., खसरा नं. 1029/290 तादादी 2.5416 हेक्ट खसरा नं. 225 तादादी 0.6070 हेक्टयर, खसरा नं. 286 तादादी 0.4173 हेटयर, खसरा नं. 34 तादादी 0.3035 हेक्टयर कुल तादादी 6.5628 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम हनुमान अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का हडमाना राम सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हडमाना राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमावन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमावन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा भाडंग के खसरा सं. 1025/28 तादादी 2.6934 हेक्ट., खसरा नं. 1029/290 तादादी 2.5416 हेक्ट खसरा नं. 225 तादादी 0.6070 हेक्टयर, खसरा नं. 286 तादादी 0.4173 हेटयर, खसरा नं. 34 तादादी 0.3035 हेक्टयर कुल तादादी 6.5628 हेक्ट. में प्रार्थी का नाम हडमाना राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम हनुमान की जगह हडमाना राम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी हनुमान की जगह हडमाना राम दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम हडमाना राम पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भाडंग के खसरा सं. 1025/28 तादादी 2.6934 हेक्ट., खसरा नं. 1029/290 तादादी 2.5416 हेक्ट खसरा नं. 225 तादादी 0.6070 हेक्टयर, खसरा नं. 286 तादादी 0.4173 हेटयर, खसरा नं. 34 तादादी 0.3035 हेक्टयर कुल तादादी 6.5628 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि हनुमान Delete कर इसके स्थान पर हडमाना राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



9
(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)